सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 102/15 **निर्णय दिनांक 13.03.2018**

1. परमा पत्नी कानाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. अणजीदेवी पुत्री जैसाराम पत्नी चेतनराम जाति नाई निवासी खेजड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. कानाराम पुत्र बीरूराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. जेसाराम पुत्र लाधुराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. लिछमा पुत्री जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. भंवरीदेवी पुत्री जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. बाधुदेवी पुत्री जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. किस्तूरीदेवी पुत्री जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
5. चूंकीदेवी पुत्री जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
6. धाई पत्नी जेसाराम जाति नाई निवासी ग्राम छटासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 04–08–2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 04–08–2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा छटासर तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 42/3 तादादी 24.12 बीघा, खसरा नम्बर 96/3 तादादी 31 बीघा, खसरा नम्बर 203 तादादी 25 बीघा, खसरा नम्बर 228/1 तादादी 15 बीघा व खसरा नम्बर 351/203 तादादी 10 बीघा कुल तादादी 105 बीघा 12 बिस्वा भूमि में अपीलांट के नाम से 50 बीघा व 45 बीघा 12 बिस्वा अपीलांट संख्या 4 के नाम से खातेदारीशुदा भूमि है। उपरोक्त रकबे में से खसरा नम्बर 203 तादादी 25 बीघा, खसरा नम्बर 228/1 तादादी 15 बीघा व खसरा नम्बर 351/203 तादादी 10 बीघा कुल 50 बीघा भूमि अपीलांट संख्या 4 की स्व. अर्जित खातेदारी भूमि है। जो अपीलांट संख्या 4 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 17–12–2014 के द्वारा अपनी पुत्री अपीलांट संख्या 1 को हस्तान्तरित कर दी, तत्पश्चात् उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में गिफ्ट डीड के आधार पर अपीलांट संख्या 1 के नाम से बदस्तूर

खातेदारी दर्ज हो गया तथा मौके पर भी अपीलांट काबिज होकर काश्त करनेलग गई।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि उक्त रकबा अपीलांट संख्या 4 का स्वअर्जित रकबा है जिसे वह चाहे जिस तरह से रहन, बैय व हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए उसने अपनी इच्छा से उक्त रकबा अपीलांट संख्या 1 को गिफ्ट किया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि वादगत् भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि पर जबदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। जबकि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण उक्त भूमि की खातेदार, गैर खातेदार अथवा कृषक आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनती है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने

आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त

की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कीजा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रोही ग्राम छटासर के खसरा नम्बर 42/3 में 24.12 बीघा, 96/3 में 31 बीघा, 203 में 25 बीघा, 228/1 में 15 बीघा व 352/203 में 10 बीघा कुल 105 बीघा 12 बिस्वा भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। अपीलांट वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर विक्रय करने, अपने नाम करवाने व वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। यदि अपीलांट अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो रेस्पोडेन्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए ही वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मौजा छटासर तहसील लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 42/3 तादादी 24.12 बीघा, खसरा नम्बर 96/3 तादादी 31 बीघा, खसरा नम्बर 203 तादादी 25 बीघा, खसरा नम्बर 228/1 तादादी 15 बीघा व खसरा नम्बर 351/203 तादादी 10 बीघा कुल तादादी 105 बीघा 12 बिस्वा भूमि के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन

बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि वादगत् भूमि पैतृक भूमि न होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने बख्शीसनामा के आधार पर एवं बीरमादेवी पत्नी गोविन्दराम ने खसरा नम्बर 96/3 तादादी 10 बीघा जरिये बैयनामा के आधार पर रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रीडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित नहीं है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु वादगत् भूमि के पैतृक सम्पति होने अथवा नहीं होने व वादगत् भूमि स्वअर्जित भूमि होने से संबंधित है। मामलें में सभी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर उनका कब्जा है व रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादगत् भूमि के स्वामित्व का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होना बताया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के संबंध में विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए मामलें में और विवाद बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19–12–2014 को दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व

रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 04–08–2015 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील
बीकानेर